उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (सामान्य) अनुभाग–1

संख्या भा0स0 18 जेड/6–सा–1–09–29 जी/86

लखनऊ : दिनांक : 21 दिसम्बर, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये पेंशन की योजना का संचालन **"उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975"** में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। इस नियमावली के नियम 2–क के अनुसार **"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिशासी व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप **कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो** या जिसे नजरबन्दी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये रखा गया हो या जिसने कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या जो फरार घोषित किया गया हो या उक्त स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो, या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।

अग्रेत्तर, उक्त नियमावली के नियम 2 की टिप्पणी (1) (ज) के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी हो अथवा कुर्क होने के बाद वापस न की गयी हो, भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में आते हैं। इसी नियमावली के नियम 9 (ख) (8) में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्पत्ति के जब्त अथवा कुर्की किये जाने तथा नौकरी से हटाने की पुष्टि में दस्तावेजी प्रमाण मान्य होगा।

2. राज्य सरकार की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु उक्तानुसार अर्हतायें निर्धारित हैं परन्तु कोई **अर्हकारी न्यूनतम आयु सीमा** निर्धारित नहीं है। अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली–1975" में पेंशन हेतु इस आशय की एक और अर्हता बढ़ाये जाने की अनुमति सहर्ष प्रदान कर दी गयी है कि अन्य औपिचारिकताओं/अर्हताओं के पूर्ण करने के साथ ही **उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिये आवेदक की आयु स्वाधीनता संग्राम में प्रतिभाग करते समय 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिये और इसकी पुष्टि में उसके द्वारा समुचित प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

3. कृपया राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का परीक्षण उपर्युक्त निर्धारित अर्हताओं के अधीन करते हुये समुचित प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ ही शासन को विचारार्थ सन्दर्भित/प्रेषित किये जायेंगे। राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/आश्रित पारिवारिक पेंशन के सम्प्रति विचाराधीन प्रकरण भी इस आदेश से आच्छादित होंगे और तदनुसार ही उनका परीक्षण कर यथोचित निस्तारण किया जायेगा।

(गिरिराज प्रसाद वर्मा)
प्रमुख सचिव

समस्त मण्डलायुक्त/
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृ0 पृ0 उ0

संख्या भा0स0 18(1) जेड/6–सा–1–09–29 जी/86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. श्री राज्यपाल का सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, लखनऊ।
7. मंत्री, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ।
8. गृह (सामान्य) अनुभाग–2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव